# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

| दावा सं. | प्रवेश तिथि | निर्णय तिथि |
|---|---|---|
| 129/18 | 31.8.18 | 31.8.21 |

उनवान

1.मौहम्मद हारून पुत्र श्री सम्मन कोम मेव निवासी ग्राम नंगलाडूगर तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0। :–वादी:–

बनाम

1.आसमोहम्मद पुत्र मामला जाति मेव निवासी नंगलाडूगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 । :–प्रतिवादी:–

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट).

:–उपस्थिति:–

1.श्री अब्दुल कलाम एड0 वकील वादी की ओर से।

2.प्रतिवादी की ओर एक पक्षीय कार्यवाही ।

:–निर्णय:– 31.8.2021

पत्रावली पेश हुई । दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:– आराजी ख0न0 846रकबा 2बीघा 3 बिस्वा (0.4500) वाके ग्राम नंगलाडुंगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान है जिसका 13/66 भाग इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी विवादित आराजी प्रतिवादी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी थी जिसने मिन वादी को जर्ये रजिस्टर्ड तहरीर व तस्दीक दिनांक 04.06.2001 उपंजीयक किशनगढबास बाकब्जा बाजाप्ता मुन्तकिल कर दी थी व प्रतिफल की रकम प्राप्त कर मौका पर कब्जा सोप दिया था। वास्ते मुलाहिजा नकल बयनामा संलग्न हैं।वादी विवादीत आराजी पर वक्त खरीद से ही लगातार वा शांन्तीपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर वादी का वास्तविक कब्जा है व बैहसियत खरीदरार खातेदार काबिज है । वादी ने अपना असल ब्यनामा तत्कालीन पटवारी हल्का को नामांतकरण हेतु दे दिया था।लेकिन आराजी विवादित आज भी प्रतिवादी के नाम चल रही है वादी के नाम का इंतकाल नही हुआ है प्रतिवादी का बाद बेचान किसी प्रकार का कोई सरोकार वो सम्बध या कब्जा नही रहा है वो गेर काबिज गैरवास्ता आराजी मुतनाजा है। प्रतिवादी के नाम का अमल रहने की सूरत में वादी के हकूको पर कुठाराघात होता है। इसलिये वादी स्वयं को खातेदार घोषित कराने व प्रतिवादी का नाम कलमजन कराकर अपने नाम का अमल कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बहक विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी किया जावें।

(अ) डिकी इजराय इश्तकारहक पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादी आराजी हाल ख0न0 846 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा (0.54) का 13/66 भाग वाके ग्राम नंगलाडूगर तहसील किशनगढबास का खातेदार है इसी कदर हाल जमाबंदी से प्रतिवादी का नाम हटवाया जाकर वादी के नाम का अकंन कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with CamScanner

ब)–प्रतिवादी को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी को कहीं गैर जगह रहन बय हिबा वसीयत लीज आदि से खुर्द पुर्द मुन्तक़िल न करें ना वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करे ना जब्रन बेदखल करें।

(स)–हरजा खर्चा मुकदमा का मिन वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(द)–अन्य सहायता जो नजदीक अदालत श्रीमान हो वादीको अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील उपरान्त उपस्थित नही । प्रतिवादी की एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी ने साक्ष्य में मौहम्मद हारूंन पुत्र श्री सम्मन पी.डब्लू.1,जमील पुत्र अब्दुलसुभान पी.डब्लू.2, युसुफ पुत्र सम्मन पी.डब्लू 3, के ब्यान कलमबद्व कराये । तथा दस्तावेजात प्रदर्श–1 असल विक्रय पत्र कृषि भूमि दिनांक 4.6.21, प्रदर्श–2 जमांबदी संवत 2070–207, प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत 2058 वाके ग्राम नंगला डूंगर आराजी ख0न0 846 पेश किये।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी ने दावे में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि आराजी विवादित प्रतिवादी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी थी जिसने मिन वादी को जर्ये रजिस्ट्रर बयनामा तहरीर व तस्दीक दिनांक 04.06.2001 उप पंजीयक किशनगढबास बाकब्जा बाजाप्ता मुन्तकिल करदी थी व प्रतिफल की रकम प्राप्त कर मौका पर कब्जा सोप दिया था। अतः दुरूस्ती पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादी आराजी हाल ख0न0 846 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा का 13/86 भाग वाके ग्राम नंगलाडूगर तहसील किशनगढबास का खातेदार है इसी कदर हाल जमाबंदी से प्रतिवादी का नाम हटाया जाकर वादी के नाम का अंकन कराया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । वादीगण द्वारा प्रस्तुत असल दस्तावेजात विक्रय पत्र दिनांक 4.6.2001 व जमाबंदीयात एवं गवाहान से साबित है कि आराजी विवादित ख0न0 846 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा(0.54) का 13/86 भाग वाके ग्राम नंगलाडूंगर तहसील किशनगढबास का वादी खरीददार कब्जा काश्त खातेदार है। हाल जामाबंदी से प्रतिवादी का नाम हटाया जाकर वादी के नाम का अंकन किया जावें।

अतः आदेश है किः–

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री किया जाकर, आदेशित किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 846 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा (0.54) का 13/86 भाग वाके ग्राम नंगलाडूंगर तहसील किशनगढबास का वादी खरीददार कब्जा काश्त खातेदार है। दस्तावेजात विक्रय पत्र दिनांक 4.6.2001 के अनुसार हाल जामाबंदी से प्रतिवादी का नाम हटाया जाकर वादी के नाम का अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर लेख भण्डार रहें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गय। पर्चा डिक्री जारी हो। वाद वादी खर्चा स्वयं वहन करे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.' किशनगढबास

| दावा सं. | प्रवेश तिथि | निर्णय तिथि |
|---|---|---|
| 129 / 18 | 31.8.18 | 31.8.21 |

उनवान

1.मौहम्मद हारून पुत्र श्री सम्मन कोम मेव निवासी ग्राम नंगलाडूगर तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–वादी:–

बनाम

1.आसमोहम्मद पुत्र मामला जाति मेव निवासी नंगलाडूगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 ।

:–प्रतिवादी:–

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट).

:–उपस्थिति:–

1.श्री अब्दुल कलाम एड0 वकील वादी की ओर से।

2.प्रतिवादी की ओर एक पक्षीय कार्यवाही ।

:– पर्चा डिकी:– 31.8.2021

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी एक पक्षीय डिकी किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 846 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा (0.54) का 13 / 86 भाग वाके ग्राम नंगलाडूंगर तहसील किशनगढबास का वादी खरीददार कब्जा काश्त खातेदार है। दस्तावेजात विक्रय पत्र दिनांक 4.6.2001 के अनुसार हाल जामाबंदी से प्रतिवादी का नाम हटाया जाकर वादी के नाम का अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर लेख भण्डार रहें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गय। वाद वादी खर्चा स्वयं वहन करे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with CamScanner